

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक-प. 8(3)कार्मिक/क-2/2023-04443

जयपुर, दिनांक : 19.04.2023

समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव

परिपत्र

विषय:-समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकबारीय पंजीयन प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से श्रेणीवार निर्धारित परीक्षा शुल्क लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश के युवाओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु एकबारीय पंजीयन प्रणाली लागू की जा रही है।

उक्त प्रणाली के तहत अभ्यर्थियों द्वारा एक बारीय पंजीयन कराने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य सभी भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने पर बार-बार परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद One Time Registration ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा :-

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थी | रु. 600/- |
| 2. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी | रु. 400/- |
| 3. दिव्यांगजन | रु. 400/- |

यह व्यवस्था, परिपत्र जारी होने की दिनांक के बाद विज्ञापित होने वाली भर्तियों पर लागू होगी।

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मा० राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. ए.सी.पी., कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.04.19 11:10:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3671240



21/2023